प्रेस नोट
दिनांकः 08.11.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा रंगदारी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, रंगदारी के 3,000 रुपये बरामद -

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को वादी संजीव सेन पुत्र स्व0 अनन्त राम वर्मा निवासी मोहल्ला पूरब टोला पूर्वी, थाना कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर, हाल पता परासराय, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक पर लिखित तहरीर दी गयी कि व इटियाथोक बाजार परासराय में पान की दुकान (ढाबली) चलाता है। दिनांक 06.11.2026 को समय करीब 13:30 बजे आनन्द तिवारी निवासी बेन्दुली एवं एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से उसकी दुकान पर आये तथा दुकान लगाने के एवज में 40,000/- रुपये की रंगदारी मांगने लगे। वादी द्वारा विरोध करने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा उसे गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर खरगूपुर रोड पर ले जाया गया, जहां उससे रंगदारी के नाम पर 10,000/- रुपये छीन लिये गये। इसके बाद दोनों व्यक्ति वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए खरगूपुर की तरफ फरार हो गये। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना इटियाथोक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 07.11.2026 को उ0नि0 अविनाश कुमार विद्यार्थी मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त आनन्द तिवारी खरगूपुर रोड से ग्राम करवापारा की ओर जा रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसकी पैंट की पिछली जेब से 500 रुपये के 05 नोट एवं 100 रुपये के 05 नोट, कुल 3,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आनन्द तिवारी पुत्र मेवालाल तिवारी निवासी ग्राम बेन्दुली, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. रंगदारी के 3,000/- रुपये नगद।

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 399/2026 धारा 308(5)/140(2)/115(2)/352/351(3)/317(2) बीएनएस, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अविनाश कुमार विद्यार्थी
2. का0 पंकज चौधरी
3. का0 भीखाराम
4. का0 सौरभ कुमार

मीडिया सेल , गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.11.2026

विषय- सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से संबंधित प्रकरण में अवैध रूप से उत्कोच लेने के आरोप में एक आरक्षी एवं एक महिला आरक्षी निलंबित, विभागीय कार्यवाही संस्थित-

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से संबंधित दो अलग-अलग प्रकरणों में पटाखा लाइसेंस धारकों से अवैध रूप से उत्कोच लेने के आरोपों के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा जांच कराई गई। जांच के दौरान आरक्षी अजीत सिंह एवं महिला आरक्षी सुमन को आरोपों में दोषी पाया गया। जांच में दोषी पाए जाने के उपरांत दोनों पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 08.11.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार. चोरी की ई-रिक्शा बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अभिषेक कुमार भारती पुत्र राज कुमार निवासी ग्राम उदयपुर ग्रन्ट, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.10.2026 को वह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने हेतु अपना ई-रिक्शा लेकर कोतवाली नगर क्षेत्र में आया था। ई-रिक्शा को कार्यक्रम स्थल के बाहर खड़ा कर वह अंदर चला गया। समय करीब 11:00 बजे दिन में वापस आने पर उसका ई-रिक्शा मौके से गायब मिला। काफी खोजबीन करने के बाद भी ई-रिक्शा का कोई पता नहीं चल सका। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 07.11.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की गई ई-रिक्शा को दो व्यक्ति लेकर वर्मा तिराहे से फत्तापुरवा की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर फत्तापुरवा सगौन के बगीचे के पास ई-रिक्शा को रोककर उसमें सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने उक्त ई-रिक्शा को दिनांक 28.10.2026 को रॉयल पैराडाइज के पास से चोरी करना स्वीकार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अजीत दूबे उर्फ अजय पुत्र राजेन्द्र कुमार दूबे निवासी नरौरा अर्जुन, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा

2. राकेश वर्मा पुत्र पंचम वर्मा निवासी इमलिया गुरुदयाल, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-1021/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

•01 अदद हरे-काले रंग की ई-रिक्शा।
•रजिस्ट्रेशन नम्बर UP43BT5676।

•चेसिस नम्बर M5PHCRBU24C031304।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 विभव तिवारी, थाना कोतवाली नगर।
2.हे0का0 रामप्रीत यादव।
3.का0 आनन्द कुमार।
4.का0 शिवम तिवारी।
5.का0 दिवाकर वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।